

प्रपत्र VI
बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अर्जन निदेशालय)

या
समाहर्ता/अपर समाहर्ता-सह-समुचित सरकार
अधिघोषणा
(अधिनियम-30/2013 की धारा- 19 (1) के अधीन)

चूंकि बिहार सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक परियोजनायें यथा परियोजना सत्तरघाट में आर0सी0सी0 पूल एवं पहुच पथ के निर्माण कार्य हेतु ग्राम नरवार थाना बैकुण्ठपुर थाना नं0 328 अंचल बैकुण्ठपुर जिला गोपालगंज में कुल 02.05ए0 यानि 0.820 हे0 भूमि अपेक्षित है।

इसलिए अधिघोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खंड है, जो मानक माप से कमोवेश 02.05ए0 यानि 0.820हे0 है और जो ग्राम नरवार थाना बैकुण्ठपुर थाना नं0 328 अंचल बैकुण्ठपुर जिला गोपालगंज में है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

क्र0सं0	खाता सं0	सर्वे भूखंड संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्र (ए0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भू-खण्ड सं0)
01	02	03	04	05	06	07	08
01	22	22	वैनामा	भीठ	0.10	वकील राय पिता स्व0 रामपत राय सा0 फैजुल्लाहपुर	ऊ0- खोमारीपुर सीवान द0- खेसरा 21 कामेश्वर सिंह आदि पु0- खेसरा 23 सड़क प0- निज खेसरा
02	08	21	खतियानी	भीठ	0.15	कामेश्वर सिंह वल्द स्व0 कृष्णा सिंह सा0 फेजुल्लाहपुर वो कजरंग सिंह पिता स्व0 रामानुज सिंह सा0 फैजुल्लाहपुर।	ऊ0- खेसरा 22 प्रदुमन प्रसाद आदि द0- खेसरा 20 कामेश्वर सिंह आदि पु0- खेसरा 23 सड़क प0- निज खेसरा
03	38	20	खतियानी	भीठ	0.025	विरेन्द्र सिंह पिता- सुन्दर कुर्वर वो प्रभु कुर्वर पिता- स्व0 सतन कुर्वर सा0 फैजुल्लाहपुर	ऊ0- खेसरा 21 कामेश्वर सिंह आदि द0- खेसरा 19 अवधेश सिंह आदि पु0- खेसरा 23 सड़क प0- निज खेसरा
04	132	07	गैरमजरूआ आम	भीठ	0.025	गैरमजरूआ आम	ऊ0- खेसरा 19 गैर मजरूआ टीकेदार द0- खेसरा 15 लाल बाबु सिंह आदि पु0- खेसरा 23 सड़क प0- निज खेसरा
05	31	16	वैनामा	भीठ	0.02	प्रदुमन प्रसाद पिता स्व0 त्रिभुवन प्रसाद कायस्थ सा0 फैजुल्लाहपुर	ऊ0- निज खेसरा द0- खेसरा 15 लाल बाबु सिंह आदि पु0- खेसरा 15 लाल बाबु सिंह आदि प0- निज खेसरा
06	31	15	खतियानी	भीठ	0.205	लाल बाबु सिंह वो वगैरह पिता स्व0 जगरनाथ सिंह सा0 फैजुल्लाहपुर	ऊ0- खेसरा 07 गैर मजरूआ आम द0- खोमारीपुर सीवान पु0- खेसरा 23 डिस्ट्रीक बोर्ड प0- खेसरा 16,14 प्रदुमन प्रसाद, सुनील सिंह
07	132	14	केवाला	भीठ	0.075	भूषण सिंह पिता स्व0 रामचन्द्र सिंह सा0 फैजुल्लाहपुर।	ऊ0- निज खेसरा द0- खोमारीपुर सीवान पु0- खेसरा 15 लाल बाबु सिंह आदि प0- निज खेसरा
08	158	23	डिसट्रीक बोर्ड	सड़क	0.24	डिसट्रीक बोर्ड	ऊ0- खोमारीपुर सीवान द0- खोमारीपुर सीवान पु0- खेसरा 24 डिस्ट्रीक बोर्ड प0- खेसरा 22, 21, 20, 19, 7, 15 वकील राय, कामेश्वर सिंह आदि

क्र०सं०	खाता सं०	सर्वे भूखंड संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्र (ए० में)	हिताबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भू-खण्ड सं०)
01	02	03	04	05	06	07	08
09	158	24	डिस्ट्रीक बोर्ड	सड़क	0.23	डिस्ट्रीक बोर्ड	ऊ०- खोमारीपुर सीवान द०- खोमारीपुर सीवान पु०- खेसरा 25 डिस्ट्रीक बोर्ड प०- खेसरा 23 डिस्ट्रीक बोर्ड
10	158	25	डिस्ट्रीक बोर्ड	सड़क	0.24	डिस्ट्रीक बोर्ड	ऊ०- खोमारीपुर सीवान द०- खोमारीपुर सीवान पु०- खेसरा 65, 64, 63, 41, 40, 27, 26 गैर मजरूआ ठीकेदार, प्रमोद सिंह, भगवान ठाकुर आदि प०- खेसरा 24 डिस्ट्रीक बोर्ड
11	60	63	गैरमजरूआ आम	रास्ता	0.015	गैरमजरूआ आम	ऊ०- खेसरा 34 गैर मजरूआ ठीकेदार द०- खेसरा 41 अक्वेश सिंह आदि पु०- निज खेसरा प०- खेसरा 25 डिस्ट्रीक बोर्ड
12	46	41	खतियानी	भीठ	0.02	अवधेश सिंह वगैरह पिता रामचन्द्र सिंह सा० फैजुल्लाहपुर	ऊ०- खेसरा 63 गैरमजरूआ आम द०- खेसरा 40 गैरमजरूआ ठीकेदार पु०- खेसरा 42 लालधारी सिंह प०- खेसरा 25 डिस्ट्रीक बोर्ड
13	40	27	केवाला	भीठ	0.025	प्रमोद सिंह वो अवधेश सिंह वो वगैरह पिता रामचन्द्र सिंह सा० फैजुल्लाहपुर	ऊ०- खेसरा 40 गैरमजरूआ ठीकेदार द०- खेसरा 26 भगवान ठाकुर पु०- निज खेसरा प०- खेसरा 25 डिस्ट्रीक बोर्ड
14	31	26	केवाला	भीठ	0.04	भगवान ठाकुर वल्द स्व० चन्द्रदीप ठाकुर सा० फैजुल्लाहपुर	ऊ०- खेसरा 27 प्रमोद सिंह आदि द०- खेसरा 30/893 लाल बाबु सिंह आदि पु०- निज खेसरा प०- खेसरा 25 डिस्ट्रीक बोर्ड
15	5	30/893	केवाला	भीठ	0.01	लाल बाबु सिंह पिता जगन्नाथ सिंह सा० फैजुल्लाहपुर	ऊ०- खेसरा 26 भगवान ठाकुर द०- खेसरा 107 प्रमोद सिंह आदि पु०- निज खेसरा प०- खोमारीपुर सीवान
16	45	107	खतियानी	भीठ	0.01	प्रमोद सिंह वो वगैरह पिता रामचन्द्र सिंह सा० फैजुल्लाहपुर	ऊ०- खेसरा 30/893 लाल बाबु सिंह आदि द०- निज खेसरा पु०- निज खेसरा प०- खोमारीपुर सीवान
17	22	210	केवाला	भीठ	0.085	लालबाबू सिंह वो ललन सिंह पिता- स्व० जगन्नाथ सिंह सा० फैजुल्लाहपुर।	ऊ०- खोमारीपुर सीवान द०- खेसरा 211 निज पु०- खेसरा 218 सड़क प०- निज खेसरा
18	22	211	केवाला	भीठ	0.05	लालबाबू सिंह वो ललन सिंह पिता- स्व० जगन्नाथ सिंह सा० फैजुल्लाहपुर।	ऊ०- खेसरा 210 निज द०- खेसरा 214 प्रदुमन प्रसाद आदि पु०- खेसरा 218 सड़क प०- निज खेसरा
19	22	214	केवाला	परती कदीम	0.07	कलावती देवी वो वीर बहादुर सिंह वल्द- स्व० राजेश्वर सिंह सा०- खोमारीपुर वो ललिता देवी पति- रमेश सिंह सा० फैजुल्लाहपुर।	ऊ०- खेसरा 211 देवकली देवी द०- खेसरा 215 पुनदेव नारायण आदि पु०- खेसरा 218 सड़क प०- खेसरा 212 हरकिशुन आदि
20	158	218	डिस्ट्रीक बोर्ड	सड़क	0.06	डिस्ट्रीक बोर्ड	ऊ०- खोमारीपुर सीवान द०- निज खेसरा पु०- खेसरा 209 डिस्ट्रीक बोर्ड प०- खेसरा 210, 211, 214 देवकली देवी, प्रदुमन प्रसाद आदि
21	158	209	डिस्ट्रीक बोर्ड	सड़क	0.115	डिस्ट्रीक बोर्ड	ऊ०- खोमारीपुर सीवान द०- निज खेसरा पु०- खेसरा 209 डिस्ट्रीक बोर्ड प०- खेसरा 218 डिस्ट्रीक बोर्ड
22	158	208	डिस्ट्रीक बोर्ड	सड़क	0.07	डिस्ट्रीक बोर्ड	ऊ०- खोमारीपुर सीवान द०- निज खेसरा पु०- खेसरा 207 विरेन्द्र राय आदि प०- खेसरा 209 डिस्ट्रीक बोर्ड
23	22	207	केवाला	भीठ	0.165	जितेन्द्र राय वो विरेन्द्र राय पिता- स्व० वोकील राय वो बाबूलाल राय पिता- स्व० भागवत राय सा० फैजुल्लाहपुर	ऊ०- खोमारीपुर सीवान द०- निज खेसरा पु०- निज खेसरा प०- खेसरा 208, सड़क


क्र०सं०	खाता सं०	सर्वे भूखंड संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्र (ए० मी)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भू-खण्ड सं०)
01	02	03	04	05	06	07	08
24	58	43	खतियानी	भीठ	0.005	भूषण सिंह पिता रामचन्द्र सिंह सा० फैजुल्लाहपुर	ऊ०- खेसरा 40 भूषण सिंह द०- खेसरा 40 पु०- निज खेसरा प०- खेसरा 40

यह अधिघोषणा हितबद्ध व्यक्तियों की आपत्तियों के सुनने और अधिनियम सं० 30/2013 की धारा 15 में प्रदत्त यथा उपबंधित सम्यक जाँच के पश्चात् किया गया है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित परिवारों की संख्या शून्य है।

उपयुक्त भूमि या किसी उपर्युक्त भूमि के विशेष भाग में पड़े कोयला खदान, लौह-पत्थर, स्लेट या अन्य खनिज है, ऐसे भागों में पेड़ हुए खदान एवं खनिज जिसे उस प्रयोजन जिसके लिए भूमि अर्जित की गई है, परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाया अथवा उपयोग किये जाने की अपेक्षा है को छोड़कर, आवश्यक नहीं हैं।

जिला भूमि अर्जन पदाधिकारी गोपालगंज के कार्यालय में किसी कार्य दिवस के दिन भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है। उक्त परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण से कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।

राज्यपाल/समाहर्ता के आदेश से


समाहर्ता,
गोपालगंज।